[2020] 3 एस०सी०आर० 1189

निर्मला कोठारी

बनाम

यूनाइटेड इण्डिया इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड

(सिविल अपील संख्या 1999–2000 /2020) 04 मार्च, 2020

[न्यायमूर्तिगण– नवीन सिन्हा और कृष्ण मुरारी]

मोटर वाहन अधिनियम, 1988– धारा 149(2)(a)(ii)– घातक दुर्घटना– बीमा दावा– बीमा दावा को इस आधार पर अस्वीकार करना कि चालक के पास दुर्घटना के समय वैध ड्राईविंग लाईंसेन्स नहीं था, धारा 149(2)(9) के उपबन्ध का उल्लंघन है। बीमा कम्पनी का यह अभिवचन था कि कथित ड्राईविंग लाईसेन्स, लाईसेन्स प्राधिकारी शेख सराय, दिल्ली द्वारा जारी किया गया था। लाईसेन्स का सत्यापन नहीं हो सका क्योंकि लाईंसेन्स प्राधिकारी के संबंधित अधिकारी ने यह बताया कि उसके पास लाईसेन्स के अभिलेख मौजूद नहीं है। अवधारित : ड्राईवर को नियुक्त करते समय नियोक्ता से यह अपेक्षा की जाती है कि यदि चालक के पास ड्राईविंग लाईसेन्स है तो उसे सत्यापित कराये। यदि ड्राईवर लाईसेन्स प्रस्तुत करता है, जो प्रथमदृष्टया सही लगता है तो नियोक्ता से अन्यथा जब तक विश्वास करने का कारण न हो, तब तक यह अपेक्षा नहीं की जायेगी कि वह लाईसेन्स की वैधानिकता की कोई अग्रेतर अन्वेषण करे। यदि नियोक्ता ड्राईवर को वाहन चालन में समर्थ पाता है और स्वयं संतुष्ट है कि ड्राईवर के पास ड्राईविंग लाईसेन्स है, तब धारा 149(2)(a)(ii) का उल्लंघन नहीं है और बीमा कंपनी पॉलिसी के तहत उत्तरदायी होगी। नियोक्ता पर यह उच्च दायित्व सौंपना अनुचित है कि वह लाईसेन्स की वैधता सुनिश्चित करने के लिये देश भर के सभी आर०टी०ओ० से जानकारी प्राप्त करें। यद्यपि यदि बीमा कंपनी यह साबित करने में सफल रहती है कि नियोक्ता/स्वामी को यह जानकारी थी अथवा वह इस तथ्य से अवगत था कि लाईंसेन्स फर्जी है अथवा अवैध है और फिर भी उसने ड्राईवर को वाहन चलाने की अनुमति दी थी, तो बीमा कंपनी उसके लिये उत्तरदायी नहीं होगी।– हस्तगत प्रकरण में शिकायतकर्ता ने लाईसेन्स जाँचने के बाद ड्राईवर की नियुक्ति की थी। बीमा कंपनी का यह तर्क नहीं है कि परिवादी ड्राईवर की नियुक्ति के समय स्वेच्छया उपेक्षावान था। ड्राईवर योग्यतापूर्ण तरीके से गाड़ी का संचालन कर रहा था और परिवादी को ड्राईवर के लाईसेन्स की सत्यता पर संदेह करने का कोई कारण नहीं था। बीमा कंपनी अपीलार्थी–वाहन स्वामी को क्षतिपूर्ति के लिये उत्तरदायी है।

न्यायालय ने अपील स्वीकार करते हुए यह अवधारित किया है कि –

1.1 मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 149(2)a की शर्तों का उल्लघंन बीमाकर्ता को बीमाधारक के प्रति उसके दायित्व से मुक्त कर देता है। धारा 149(2)(a)(ii) ड्राईविंग लाईंसेन्स की शर्तों से संबंधित है। यदि दुर्घटना के समय वाहन किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा चलाया जा रहा है, जिसके पास विधिवत लाईंसेन्स नहीं है या ऐसा अयोग्य व्यक्ति जिसे लाईसेन्स धारण करने या प्राप्त करने से अयोग्य कर दिया गया है, तो बीमाकर्ता क्षतिपूर्ति/मुआवजा के लिये उत्तरदायी नहीं होगा। हस्तगत प्रकरण में

यह तथ्य का विषय है कि लाईसेन्स नंबर पी 03041288753070 से संबंधित कोई अभिलेख लाईसेन्स प्राधिकारी के पास नहीं पाया गया।

1.2 जब बीमाकर्ता अचानक यह बचाव लेता है कि कार के ड्राईवर के पास घटना के समय अवैध/फर्जी लाईसेन्स था यद्यपि यह साबित करने का भार बीमित व्यक्ति पर है कि उसने लाईसेन्स की वैधता सत्यापित करने के लिये उचित सतर्कता नहीं बरती अथवा वह इन्श्योरेन्स पॉलिसी अथवा बीमा संविदा की शर्तों का स्वच्छेया उल्लंघन करने का दोषी है।

नेशनल इन्श्योरेन्स कंपनी लिमिटेड बनाम स्वर्ण सिंह व अन्य
(2004) 3 SCC 297 : (2004) 1 एस०सी०आर० 180 पर विश्वास किया गया।

पेप्सू आर०टी०सी० बनाम नेशनल इन्श्योरेन्स कंपनी (2013) 10 एस०सी०सी०
217 : (2013) 9 एस०सी०आर० 266– लागू नहीं होता है, अवधारित किया गया।

यूनाइटेड इन्श्योरेन्स कंपनी लिमिटेड बनाम लेहरू एवं अन्य (2003)
3 एस०सी०सी० 338 : (2003) 2 एस०सी०आर० 266 का पैरा 8 अप्रयोग, (2004)1 एस०सी०आर० 180 के पैरा 10 को संदर्भित किया गया।

वाद विधि संदर्भ [2003]2 एस०सी०आर० 495 का पैरा–8[2013] 9 एस०सी०आर० 266 का पैरा–8 लागू नहीं होता है तथा [2004] 1 एस०सी०आर० 180 के पैरा–10 पर विश्वास किया गया।
सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकारिता : सिविल अपील संख्या 1999–2000/2020

निर्मला कोठारी बनाम यूनाइटेड इण्डिया इन्श्योरेन्स कंपनी लिमिटेड निगरानी याचिका संख्या 2835/2015 व निगरानी याचिका संख्या 3053/2016 में राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निपटारण आयोग के दिनांक 06.02.2018 के निर्णय व आदेश से उद्भूत–

अपीलार्थी के अधिवक्ता– जसमीत सिंह, श्री रुसित सलूजा, सैफ अली, सत्येन्द्र मणि त्रिपाठी और पुष्पेन्द्र सिंह भदौरिया।
प्रत्यर्थी के अधिवक्ता– श्रीमती सुमन बग्गा, मनजीत चावला और कारी वेंकटा रेड्डी।

यह निर्णय न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी द्वारा दिया गया।

1. अनुमति प्रदान की गयी।
2. अपीलार्थी/शिकायतकर्ता निर्मला कोठारी के पति, विनोद राय कोठारी, वाहन पंजीयन संख्या आर०जे० 36 सी०ए० 0111 ड्यूडंई इलान्ट्रा वाहन के स्वामी थे, जिसका बीमा कंपनी से पांच लाख रुपये का बीमा था।

3. कथित वाहन दिनांक 06.06.2010 पंजीयन संख्या एच०आर० 38 के3216 वाले ट्रैक्टर से दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसके परिणामस्वरुप अपीलकर्ता के पति विनोद रॉय कोठारी, जो कार के वाहन स्वामी थे, और उसकी पुत्री की मृत्यु हो गयी और वाहन क्षतिग्रस्त हो गया। पुलिस ने वाहन के चालक धर्मेन्द्र सिंह चौहान के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किया। प्रत्यर्थी /बीमा कंपनी, ने प्राप्त सूचना के आधार पर स्थलीय निरीक्षणकर्ता की नियुक्ति की और एक नियमित निरीक्षणकर्ता को भी निरीक्षण के लिये नियुक्त किया, लेकिन उनके द्वारा दिनांक 28.03.2011 के पत्र से दावे को अस्वीकार कर दिया गया। प्रत्यर्थी/बीमा कंपनी ने अपने अस्वीकृति पत्र में यह उल्लेख किया कि धर्मेन्द्र सिंह चौहान के पास घटना के समय एक उचित ड्राईविंग लाईंसेन्स नहीं था। उनके द्वारा कथित लाईसेन्स, जिसे लाईसेन्स प्राधिकारी शेख सराय, दिल्ली के कार्यालय से प्राप्त करना बताया गया, वह सत्यापित नहीं हुआ जैसा कि यातायात विभाग के संबंधित अधिकारी ने उनके पत्र पर यह पृष्ठांकित किया कि लाईसेन्स से संबंधित अभिलेख मौजूद नहीं है। प्रत्यर्थी/बीमा कंपनी के द्वारा उल्लिखित कमी के आधार पर शिकायतकर्ता ने बीमित धनराशि उपभोक्ता शिकायत पाँच लाख रुपये मय 9% ब्याज जो शिकायत दर्ज करने की तिथि से देय तथा 50,000/–रुपये मानसिक कष्ट के लिये क्षतिपूर्ति और 11,000/–रुपये वाद–व्यय के निर्देश के लिये उपभोक्ता शिकायत दाखिल किया। जिला फोरम ने अपने आदेश दिनांकित 30.05.2012 से उपभोक्ता की शिकायत स्वीकार की और निरीक्षणकर्ता के मूल्यांकन के अनुसार 3,57,500/–रुपये मय 9% ब्याज व वाद खर्च 2500/–रुपये अदा करने का आदेश दिया।

जिला फोरम के कथित आदेश से पीड़ित होकर, प्रत्यर्थी/बीमा कंपनी ने उसे चुनौती देते हुए राज्य आयोग के समक्ष अपील दाखिल किया लेकिन कथित अपील आक्षेपित आदेश दिनांक 18.09.2015 से निरस्त कर दी गयी। प्रत्यर्थी/बीमा कंपनी निगरानी संख्या 2835/2015 से राष्ट्रीय आयोग के समक्ष आया।

4. निर्मला कोठारी द्वारा प्रत्यर्थी/बीमा कंपनी के विरुद्ध परिवाद संख्या 227/2012 दो लाख रुपये दुर्घटना बीमा, 9% वार्षिक ब्याज और बीस हजार रुपये मानसिक क्षतिपूर्ति तथा 11,000/–रुपये वाद व्यय दिलाने के लिये दाखिल किया। प्रत्यर्थी/बीमा कंपनी ने भी पत्र दिनांक 14.02.2012 को इस आधार पर कि वाहन चालक धर्मेन्द्र सिंह चौहान के पास विधिक एवं प्रभावी ड्राईविंग लाईसेन्स प्रश्नगत घटना के समय नहीं था, दावे को अस्वीकार कर दिया।

5. जिला फोरम के द्वारा उपभोक्ता शिकायत संख्या 227/2012 आदेश दिनांकित 28.02.2013 के माध्यम से स्वीकार किया और प्रत्यर्थी/बीमा कंपनी को व्यक्तिगत दुर्घटना दावे के रुप में 2 लाख रुपये मय 9% ब्याज शिकायत दर्ज करने की तिथि से तथा वाद खर्च 2500/रुपये अदा करने का आदेश दिया। जिला फोरम के उपरोक्त आदेश से क्षुब्ध होकर प्रत्यर्थी /बीमा कंपनी ने अपील संख्या 366/2013 के माध्यम से राष्ट्रीय आयोग के समक्ष चुनौती दी। यह अपील आदेश दिनांकित 01.08.2016 से निरस्त कर दी गयी, प्रत्यर्थी/बीमा कंपनी निगरानी संख्या 3053/2016 के माध्यम से राष्ट्रीय आयोग के समक्ष आयी। राष्ट्रीय आयोग ने प्रत्यर्थी/बीमा कंपनी को उसके दायित्व से इस आधार पर उन्मुक्त कर दिया कि ड्राईवर के लाईसेन्स के संदर्भ में लाईसेन्स प्राधिकारी के यहाँ कोई अभिलेख नहीं पाया गया। इस प्रकार क्षुब्ध अपीलार्थी/शिकायतकर्ता अपील में आया है।

6. प्रत्यर्थी/बीमा कंपनी का यह मामला है कि चालक के पास वैध एवं प्रभावी लाईसेन्स न होना बीमा पॉलिसी के मूलभूत नियमों एवं शर्तों का उल्लघंन है, इसलिए अपीलार्थी/शिकायतकर्ता को याचित मुआवजा देय नहीं था। जहाँ तक अपीलार्थी/शिकायतकर्ता के इस तर्क का प्रश्न है कि ड्राईवर को नियुक्त करते समय ड्राईविंग लाईसेन्स आदि प्रपत्रों की सामान्य रुप से जाँच की गयी थी लेकिन किसी ने भी उसकी सत्यता को सत्यापित नहीं कराया।

7. मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 149(2)(a) की शर्तों का उल्लघंन बीमाकर्ता को बीमित के प्रति उसके दायित्व से मुक्त करती है।

धारा 149(2)(1)(ii) ड्राईविंग लाईसेन्स की शर्तों के संबंधित है। ऐसे मामले में जब घटना के समय ऐसे व्यक्ति जिसके पास वैध लाईसेन्स नहीं था या वह व्यक्ति अयोग्यता अवधि में लाईसेन्स धारण करने अथवा प्राप्त करने के लिये अयोग्य कर दिया गया था,के द्वारा चलाया जा रहा था तब बीमाकर्ता क्षतिपूर्ति के लिये उत्तरदायी नहीं होगा। हस्तगत प्रकरण में यह तथ्य है कि लाईसेन्स संख्या पी 03041288753070 से संबंधित अभिलेख लाईसेन्स प्राधिकारी के पास नहीं मिले थे।

8. हस्तगत प्रकरण के संदर्भ में यह विधिक प्रश्न उठता है कि किस सीमा तक नियोक्ता /बीमाधारक से ड्राईवर की नियुक्ति किये जाते समय सतर्कता बरती जानी चाहिए ? इस प्रश्न का उत्तर देने के लिये हमें इस विधिक उपबन्ध की ओर ध्यान देना होगा कि घटना के समय जब ड्राईवर द्वारा अविधिक/फर्जी लाईसेन्स रखा गया है, उस समय बीमा कंपनी का उत्तरदायित्व क्या है। यूनाइटेड इण्डिया इन्श्योरेन्स लिमिटेड बनाम लेहरू व अन्य के मामले में इस न्यायालय के दो जजों की खण्डपीठ के द्वारा यह विचार व्यक्त किया गया कि बीमा कंपनी अपने उत्तरदायित्व से इस आधार पर नहीं बच सकती है कि घटना के समय वाहन चालक वैध लाईसेन्स धारक नहीं था। तत्पश्चात यह भी अवधारित किया गया है कि बीमा शर्तों का स्वेच्छया उल्लघंन किया जाना स्थापित होना चाहिए। इस संदर्भ में पेप्सू आर०टी०सी० बनाम नेशनल इन्श्योरेन्स कंपनी के मामले में विधि का विस्तृत उल्लेख किया गया है। हम उसमें से संगत पैरा–10 निम्न रुप में उदृत करते हैं–

"क्षतिपूर्ति के दावे में बीमाकर्ता के पास धारा 149(2)(A)(ii) के तहत बचाव लेने का अवसर है कि घटना में शामिल वाहन के चालक के पास विधिवत् लाईंसेन्स नहीं था। जब एक बार यह बचाव लिया जाता है तो इसे साबित करने का भार बीमाकर्ता पर है, लेकिन यह साबित हो जाने के बाद भी कि ड्राईवर के पास फर्जी लाईंसेन्स था, यह विवादग्रस्त प्रश्न बनता है कि क्या बीमाकर्ता का कोई दायित्व है। जहाँ तक वाहन के स्वामी का प्रश्न है, जब वह एक ड्राईवर रखता है, उसे जाँचना चाहिए कि क्या ड्राईवर के पास एक विधिक ड्राईविंग लाईसेन्स है। उसके पश्चात उसे स्वयं ड्राईवर की सक्षमता पर संतुष्ट होना होगा। यदि वह इसके संदर्भ में संतुष्ट हो जाता है तब यह कहा जा सकता है कि स्वामी ने वाहन की ड्राईवर की नियुक्ति के समय युक्ति–युक्त सतर्कता के साथ योग्य व सामर्थ्य वाले व्यक्ति को नियुक्त किया है।"

स्वामी से यह अपेक्षा नहीं की जा सकती है कि जब वह एक ड्राईवर को सेवा पर रखता है तो वह इससे परे जाकर ड्राईविंग लाईसेन्स की सत्यता का परीक्षण लाईसेन्स प्राधिकारी से कराये। यद्यपि उस समय परिस्थिति भिन्न हो जाती है जब बीमा कराये जाते समय बीमा कंपनी यह अपेक्षित करे कि वाहन स्वामी लाईसेन्स प्राधिकारी से लाईसेन्स सत्यापित कराये अथवा वाहन के स्वामी का ध्यान इस तरफ दिलाया जाये कि नियुक्त ड्राईवर एक फर्जी लाईसेन्स धारक है और उसके बाद भी स्वामी

लाईसेन्स की सत्यता का परीक्षण, लाईंसेन्स प्राधिकारी से कराने के लिये कोई भी कदम नहीं उठाता है, यही व्याख्या स्वर्ण सिंह के मामले में की गयी है। यदि इस सूचना के बावजूद भी कि ड्राईवर फर्जी लाईंसेन्स धारक है, बीमित व्यक्ति द्वारा उचित सत्यापन के लिये कोई कार्यवाही नहीं की जाती है तब बीमित की गलती होगी और ऐसी परिस्थिति में बीमा कंपनी क्षतिपूर्ति के लिये उत्तरदायी नहीं होगी।"

9. बीमाकर्ता जब यह बचाव लेता है कि दुर्घटना के समय चालक के पास अविधिक/फर्जी लाईंसेन्स था, बीमित व्यक्ति के द्वारा लाईंसेन्स की सत्यता की परीक्षा कराने के लिये कोई कदम नहीं उठाया जाता है अथवा बीमा की संविदा अथवा बीमा पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन किया गया है, यह साबित करने का भार बीमाकर्ता पर है।

10. राष्ट्रीय आयोग के द्वारा यह विचार अपनाया गया कि पेप्सू वाद में स्थापित विधि इस मामलें में लागू नहीं होती है क्योंकि यह तीसरे पक्ष के दावे से संबंधित है। नेशनल इन्श्योरेन्स लिमिटेड बनाम स्वर्ण सिंह व अन्य मामले के पैरा–110 में यह विशिष्ट रुप से अवधारित किया गया है कि

"110(iii) केवल फर्जी या अविधिक ड्राईविंग लाईसेन्स या संगत समय पर ड्राईवर की वाहन चालन के समय अयोग्यता, बीमाकर्ता को बीमित अथवा तृतीय पक्ष के विरुद्ध स्वयं बचाव नहीं बनता है। बीमाकर्ता को बीमित के प्रति उत्तरदायित्व से बचने के लिये बीमाकर्ता को यह साबित करना होगा कि बीमित व्यक्ति उपेक्षा का दोषी था और बीमा की शर्तों के अनुसार ऐसे ड्राईवर को रखा था, जिसके पास लाईंसेन्स नहीं था या वह संगत समय पर वाहन चलाने के लिये अयोग्य था।"

11. जब किसी नियोक्ता के द्वारा ड्राईवर को नियुक्त किया जाता है तो उससे यह अपेक्षा की जाती है कि वह सत्यापित कराये कि ड्राईवर के पास ड्राईविंग लाईसेन्स है। यदि ड्राईवर लाईंसेन्स प्रस्तुत करता है जो प्रथमदृष्टया सत्य प्रतीत होता है, तब नियोक्ता से लाईसेन्स की सत्यता का परीक्षण कराने के लिये अग्रेतर अन्वेषण की अपेक्षा नहीं की जा सकती है। यदि नियोक्ता यह पाता है कि ड्राईवर गाड़ी चलाने में सक्षम है और यह विश्वास करता है कि ड्राईवर के पास ड्राईविंग लाईसेन्स है, तो वह धारा 149 (2)(A)(ii) का उल्लघंन नहीं है और बीमा कंपनी क्षतिपूर्ति के दायित्वधीन है। नियोक्ता पर यह उच्च दायित्व सौंपना अनुचित है कि वह लाईसेन्स की वैधता सुनिश्चित करने के लिये देश भर के सभी आर०टी०ओ० से जानकारी प्राप्त करें। यद्यपि, बीमा कंपनी यदि यह साबित करती है कि स्वामी/बीमित जानता था या उसके पास या सूचना थी कि लाईंसेन्स फर्जी अथवा अविधिक था, फिर भी उसने उस व्यक्ति को वाहन चलाने की अनुमति प्रदान की तो बीमा कंपनी उत्तरदायी नहीं होगी।

12. उपरोक्त तथ्यों के आधार पर इस मामले में अपीलार्थी /शिकायतकर्ता ने ड्राईवर धर्मेन्द्र को ड्राईविंग लाईंसेन्स जाँचने के बाद ड्राईवर के रुप में रखा था। ड्राईविंग लाईंसेन्स, लाईसेसिंग प्राधिकारी, शेख सराय द्वारा जारी किया गया था यद्यपि यह उस प्राधिकारी के द्वारा इस आधार पर सत्यापित नहीं किया गया कि लाईंसेन्स से संबंधित अभिलेख उसके यहाँ मौजूद नहीं थे। प्रत्यर्थी/बीमा कंपनी का यह तर्क नहीं है कि अपीलार्थी /शिकायतकर्ता ड्राईवर की नियुक्ति के समय स्वच्छेया उपेक्षा का दोषी है। ड्राईवर सक्षमतापूर्वक गाड़ी चलाता था और अपीलार्थी/शिकायतकर्ता को ड्राईवर के ड्राईविंग लाईसेन्स के संदर्भ में संदेह करने का कोई कारण मौजूद नहीं था। उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर आक्षेपित निर्णय स्थिर रहने योग्य नहीं है और रद्द किये जाने योग्य है।

तद्नुसार अपील स्वीकार की जाती है। प्रत्यर्थी/बीमा कंपनी को क्षतिपूर्ति के लिये दायित्वधीन पाया जाता है।

देविका गुजराल की अपील स्वीकार की जाती है।

Digitally signed by SURENDRA PRATAP YADAV
Date: 2023.11.02 16:35:15 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court Sitapur